ई-11012/1/2025-हिंदी

भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

(राजभाषा अनुभाग)

श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली

दिनांक: 10 सितंबर, 2026

विषयः राजभाषा अधिनियम 1963 /राजभाषा नियम 1976 के नियमों के जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय में उचित कार्यान्वयन की दृष्टि से अनुपालन के लिए जांच-बिंदुओं का निर्माण/सुदृढ़ीकरण।

राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा-4 के अनुसरण में गठित संसदीय राजभाषा समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित करने, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने तथा सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ाने संबंधी सरकारी आदेशों/अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित अनुपालन का सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित है:-

क्र.सं.	मद संख्या	अनुपालन का दायित्व
1.	राजभाषा अधिनियम, 1963 (यथा संशोधित, 1967) की धारा 3 (3) में उल्लिखित सभी दस्तावेज़ आदि हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में एक साथ जारी किए जाएं। सामान्य आदेश, अधिसूचनाएं, सकंल्प, प्रेस विज्ञप्तियां, नियम, प्रशासनिक या अन्य प्रतिवेदन, संविदाएं, करार, अनुज्ञा पत्र, अनुज्ञप्तियां, निविदा सूचनाएं, निविदा प्रारूप, संसद के समक्ष प्रस्तुत किए जाने वाले प्रतिवेदन तथा अन्य कागजात, परिपत्र आदि।	दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी
2.	राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 (यथा संशोधित, 1987) की अपेक्षानुसार हिंदी में प्राप्त पत्रों आदि के उत्तर हिंदी में देना।	हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी
3.	'क' और 'ख' क्षेत्र से अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिंदी में देना।	हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी
4.	हिंदी में मूल पत्राचार वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार 'क' से 'क' एवं 'ख' - 100% और 'क' से 'ग' - 70% किया जाए।	सभी अनुभाग एवं कार्मिक
5.	रजिस्टरों के शीर्षक, रबड़ की मोहरें, नामपट्ट, सूचना पट्ट, लिफाफे आदि द्विभाषी रूप में लिखना या मुद्रित करवाना: (का.ज्ञा. सं.12024/2/92-रा.भा. (ख2) दिनांक 21 जुलाई, 1992	अनुभाग अधिकारी सामान्य प्रशासन अनुभाग / संबंधित अनुभाग
6.	'क' तथा 'ख' क्षेत्रों को भेजे जाने वाले पत्रों के लिफाफों पर पते हिंदी में लिखना।	सभी अनुभाग प्रभारी
7.	फाइल कवरों पर विषय द्विभाषी रूप में लिखना।	सभी अनुभाग प्रभारी
8.	मंत्रालय में प्रयुक्त होने वाले सभी कंप्यूटरों पर यूनिकोड समर्थित सॉफ्टवेयर मौजूद हों:	स्थापना/सामान्य अनुभाग

	कंप्यूटरों/लैपटॉप आदि की खरीद के संदर्भ में यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि वे यूनिकोड समर्थित (Unicode Supported) हों। वर्तमान व्यवस्था के अनुसार, अधिकांश कंप्यूटर/लैपटॉप यूनिकोड समर्थित हैं। अत: इनकी खरीद करने वाले अधिकारी/ अनुभाग यह सुनिश्चित करेंगे कि इन उपकरणों पर हिंदी फॉन्ट सक्रिय किए जाएं।	
9.	राजभाषा नियम, 1976 के नियम 11 के अनुपालन में फार्मों, कोडों, मैनुअल, प्रक्रिया साहित्य और सरकारी राजपत्र की सामग्री का द्विभाषी प्रकाशन।	सभी अनुभाग तथा अनुभाग प्रभारी
10.	सेवा पंजिकाओं (Service Books) में प्रविष्टियां हिंदी/द्विभाषी में करना।	प्रशासन अनुभाग / सभी स्थापना अनुभाग
11.	विज्ञापनों का द्विभाषी प्रकाशन: [संदर्भ-का. ज्ञा. सं. 20012/01/2017-रा.भा. (नीति)]	सामान्य प्रशासन अनुभाग सहित विज्ञापन जारी करने वाले सभी अनुभाग।
12.	वेबसाइट का द्विभाषीकरण सुनिश्चित करना।	एनआईसी तथा संबंधित अनुभाग अधिकारी जिनकी सामग्री अपलोड की गई है।
13.	पुस्तकों की खरीद में 50% हिंदी पुस्तकों की खरीद पर व्यय किया जाना चाहिए।	सामान्य प्रशासन अनुभाग
14.	राजभाषा अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करना।	हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय के सभी अधिकारियों/ कर्मचारियों से अनुरोध है कि वे अपने सरकारी कामकाज में हिन्दी की प्रगति की स्थिति की आवधिक समीक्षा करके उक्त जांच बिंदुओं का समुचित अनुपालन सुनिश्चित करने की अपनी ज़िम्मेदारी और सरकारी कामकाज में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के अपने संवैधानिक दायित्व का निष्ठापूर्वक निर्वहन करें।

(डॉ. बिजय कुमार बेहेरा)
आर्थिक सलाहकार एवं राजभाषा प्रभारी, भारत सरकार

सेवा में,

1. जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय के सभी अधिकारी।

डॉ. बिजय कुमार बेहेरा / DR. BIJAYA KUMAR BEHERA
आर्थिक सलाहकार एवं राजभाषा प्रभारी
Economic Adviser & Official Language Incharge
Ministry of Jal Shakti
जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग
Deptt. of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation
भारत सरकार / Govt. of India

प्रतिलिपि सूचनार्थ:

1. सचिव, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय के प्रधान निजी सचिव।